15 अगस्त से नयी व्यवस्था, बिजली संचरण और वितरण पर खर्च होंगे 708 करोड़ पटना, जागरण ब्यूरो : राज्य सरकार ने जनता की राहत के लिए जनता से जुड़े काम की मियाद तय कर दी है। विधानमंडल के बीते सत्र में इससे संबंधित विधेयक को स्वीकृति दी गयी उसके तत्काल बाद संबंधित नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गयी। अब सरकार ने उन सेवाओं को तय कर दिया है जिससे जुड़े काम सरकारी सेवकों को समय सीमा के भीतर निपटाने होंगे। 15 अगस्त से इसे लागू किया जायेगा। इन सेवाओं और समय सीमा की सूची को मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जाति-आय आदि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, होल्डिंग निर्धारण, निबंधन आदि 20 सेवाओं को इस दायरे में रखा गया है। समय पर सेवा नहीं मिलने पर आगे शिकायत के लिए आपीलीय प्राधिकार भी तय कर दिये गये हैं। 15 अगस्त के पूर्व इससे जुड़ी आधारभूत संरचना और प्रशिक्षण के काम को सरकार पूरा कर लेगी। कैबिनेट ने शिक्षा का अधिकार नियमावली, पंचायत और नगर निकाय में नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए 5.36 अरब रुपये की भी स्वीकृति प्रदान की। प्रधान सचिव मंत्रिमंडल रविकांत ने बैठक के बाद बताया कि कैबिनेट ने शिक्षा का अधिकार कानून के आलोक में तैयार नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्राइवेट स्कूलों में गरीबों को मुफ्त शिक्षा के आलोक में सरकार द्वारा की जाने वाली प्रतिपूर्ति, पोषक एरिया, नामांकन में आरक्षण की प्रक्रिया, किस आय सीमा के लोगों को लाभ मिले आदि के संबंध में मानव संसाधन विभाग अलग से विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। प्रधान सचिव मंत्रिमंडल ने बताया कि भागलपुर भी बढ़ता हुआ शहर है। वहां यातायात की समस्या गहरा रही है। उसे सहज बनाने के लिए यातायात थाना खोलने का निर्णय किया गया है। इसके लिए 62 पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी। वाह्य संपोषित परियोजना के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त कर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के संचरण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए बिहार पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए 708 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गयी। इसमें 86 फीसदी यानी 608 करोड़ एडीबी से हासिल होगा। बिजली बोर्ड के हिस्से की 14 फीसदी राशि यानी एक सौ करोड़ रुपये बिजली बोर्ड को कर्ज के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी। चालू वर्ष में योजना के कार्यान्वयन के लिए जमीन अधिग्रहण और प्रारंभिक कार्य के लिए 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। विघटित बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद एवं बाजार प्रांगणों की जमीन के उपयोग की नीति को भी हरी झंडी दी गयी। पटना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय की स्थापना एवं निर्माण के लिए मास्टर प्लान कंसलटेंट के चयन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। सरकारी सेवक अब राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज लेकर ल्ल शेष पृष्ठ 19 पर लोकसेवाओं की मियाद तय

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति